

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3083

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

ताप विद्युत संयंत्रों में पानी की खपत

3083. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, देश भर में समुद्र के पानी के अलावा अन्य माध्यम का उपयोग करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों में पानी की खपत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना, तत्पश्चात दिनांक 28.06.2018 की यथा संशोधित अधिसूचना के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों के लिए जल की खपत संबंधी मानदंडों को अधिसूचित किया है। तदनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) की दिनांक 05.09.2022 की अधिसूचना के माध्यम से इसके अनुपालन की समय सीमा को संशोधित किया गया है।

मानदंडों का अनुपालन करने हेतु, जल की खपत को कम करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं :

- i. वातानुकूलित कंडेनसर (एसीसी) प्रौद्योगिकी को अपनाना - एनटीपीसी की दो परियोजनाओं अर्थात् उत्तरी कर्णपुरा एसटीपीपी (3x660 मेगावाट) और पतरातू एसटीपीपी (3x800 मेगावाट) में एसीसी को कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसमें से, उत्तरी कर्णपुरा की पहली यूनिट दिनांक 18.01.2023 को आरंभ हो गई है।
- ii. सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों (एसटीपी) के 50 किमी के दायरे में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए शोधित सीवेज के पानी का अनिवार्य उपयोग - भारत सरकार ने दिनांक 28.01.2016 को नई टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि नगर पालिका/स्थानीय निकायों/सदृश संगठन के एसटीपी के 50 किमी के दायरे में स्थित मौजूदा संयंत्रों सहित ताप विद्युत संयंत्र(त्रों), एसटीपी की निकटता की दृष्टि से, इन निकायों द्वारा उत्पादित सीवेज शोधित जल का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे। अब तक, देश में 8 कोयला, लिग्नाइट और गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र अपने संयंत्रों में एसटीपी पानी का उपयोग कर रहे हैं।
- iii. ड्राई फ्लाइंग ऐश हैंडलिंग सिस्टम और हाई कंसंट्रेशन स्लरी डिस्पोजल सिस्टम (एचसीएसडी) - ये राख प्रबंधन तकनीकें राख प्रबंधन के लिए जल की आवश्यकता को कम करती हैं जिससे संयंत्रों में जल की खपत कम हो जाएगी।
- iv. ऐश वाटर री-सर्कुलेशन सिस्टम (एडब्ल्यूआरएस) कार्यान्वित किया जाता है जहां राख के तालाब से जल पुनर्प्राप्त किया जाता है तथा प्रणाली में पुनः उपयोग किया जाता है।
- v. जीरो वाटर डिस्चार्ज सिस्टम - संयंत्र में उत्पन्न अपशिष्ट जल का उपयोग निम्न श्रेणी के अनुप्रयोगों जैसे राख प्रबंधन, कोयले की राख का शमन और बागवानी आदि के लिए किया जाता है। शेष अपशिष्ट जल को उचित रूप से शोधित किया जाता है और संयंत्र की सकल जल खपत को कम करने के लिए उपभोग्य जल प्रणाली में वापस पुनर्चक्रित किया जाता है।

\*\*\*\*\*